

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-978 / 2012

संस्थित दिनांक 01.12.2012

फाई. क्र.234503000202012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

-- -- -- **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

मुकेश पिता मोहन यादव, उम्र-22 वर्ष,
 निवासी कनिया थाना बिरसा जिला बालाघाट।

-- -- -- **आरोपी**// **निर्णय** //

(आज दिनांक 12/03/2018 को घोषित)

01- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 22.01.2012 को समय करीब 11:30 से 12:00 बजे के मध्य स्थान बोरी दमोह मेन रोड हरिराम अग्रवाल के खेत के पास ग्राम बोरी थानांतर्गत बिरसा में लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकिल स्पलेंडर प्रो क्रमांक सी.जी.08एन.ए.9679 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उसमें सवार सुनीता यादव की मृत्यु ऐसी दशा में कारित किया जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने चौकी आकर मौखिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया कि वह दिनांक 22.01.2012 दिन रविवार को दमोह बाजार गया था। बाजार से शाम को घर वापस नहीं आया और दमोह में ही साडू भाई के घर रात रुक गया था, तब उसे दूँढते हुये उसका भांजा मुकेश के साथ मोटर सायकिल से उसकी लड़की सुनीता और पत्नि अघनीबाई दमोह रात 11:30 बजे आये थे। उसकी पत्नि रात में दमोह में ही रुक गयी थी और भांजा मुकेश के साथ लड़की सुनीता दोनों तुरंत ही घर ग्राम बोरी जाने मोटर सायकिल से निकल गये थे। सुबह अपनी सायकिल से

पत्नि के साथ दमोह से बोरी आ रहा था, तब सिंघनपुरी में पता चला कि लड़की सुनीता बोरी-सिंघनपुरी के बीच हरिराम अग्रवाल के खेत के पास मरी पड़ी है तथा एक क्षतिग्रस्त मोटर सायकिल पड़ी है। पत्नि के साथ जाकर देखा तो सुनीता मृत पड़ी थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। साजा के पेड़ के पास मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08एन.ए.9679 क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी मुकेश यादव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान शव पंचनामा कार्यवाही कर पी.एम. कराया गया। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08एन.ए. 9679 जप्त की गई। आरोपी फरार होने से धारा-299 जा.फौ. के अंतर्गत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 22.01.2012 को समय करीब 11:30 से 12:00 बजे के मध्य स्थान बोरी दमोह मेन रोड हरिराम अग्रवाल के खेत के पास ग्राम बोरी थानांतर्गत बिरसा में लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकिल स्पलेंडर प्रो क्रमांक सी.जी.08एन.ए.9679 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर दुर्घटना कारित कर उक्त वाहन में सवार सुनीता यादव की मृत्यु ऐसी दशा में कारित किया जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

—विवेचना एवं निष्कर्ष :—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— अभियोजन साक्षी अग्नीबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना पांच वर्ष पूर्व रात के समय की हरी सेठ के खेत के पास की है। घटना के समय वह सिंघनपुरी में थी। सुबह उसे मालूम हुआ कि उसकी लड़की सुनीता सड़क दुर्घटना में खत्म हो गयी है। इसके बाद वह जब घटनास्थल में पहुँची तो देखा कि सुनीता का शव पड़ा हुआ था एवं उसके सिर से खून बह रहा था। घटनास्थल पर एक मोटर सायकिल भी पड़ी थी। घटना के समय उसकी लड़की आरोपी के साथ रात में मोटर सायकिल से घर बोरी वापस आ रही थी, जिसकी दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी, घटना कैसे और किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती।

06— साक्षी सुन्तीबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 06 वर्ष पूर्व ग्राम दमोह रोड की है। घटना के समय उसे मालूम हुआ कि सुनीता का मोटर सायकिल से एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद वह उसे देखने घटनास्थल पर गई थी और देखी कि सुनीता मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। पुलिस ने उसके समक्ष सुनीता के शव पंचनामा की कार्यवाही की थी, जो

प्र.पी.01 तथा 02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी, घटना कैसे और किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकती।

07— साक्षी रामचंद्र यादव अ.सा.03 ने कथन किया है वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। घटना दिनांक 22.01.2012 की ग्राम दमोह से बोरी मार्ग हरीराम अग्रवाल के खेत के पास रात्रि 11:30 बजे की है। घटना के समय वह ग्राम कनिया में अपने भाई की दुकान के सामने खड़ा था और उसकी मोटर सायकिल में चाबी लगी हुई थी। उक्त वाहन भी दुकान के सामने खड़ा था। आरोपी आया और जबरदस्ती उसकी मोटर सायकिल को उठाकर ले गया और मना करने पर भी वह नहीं माना। वाहन ले जाने के पश्चात उसने एक घंटा आरोपी का इंतजार किया और उसके बाद वह मुकेश के घर जाकर पता किया तो वह उस समय नहीं आया था, जिसके बाद वह अपने घर आ गया और सुबह उठने के बाद भी आरोपी उसकी गाड़ी लेकर नहीं आया, तब वह पुलिस चौकी सालेटेकरी गया, जहाँ उसे पता चला कि उसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में सुनीता जो कि नोहर यादव की पुत्री थी एक्सीडेंट से खत्म हो गई थी। नोहर रिपोर्ट करने आया था और उसने ही रिपोर्ट लिखाया था। वह उसके वाहन को आरोपी द्वारा ले जाने के संबंध में पुलिस चौकी में रिपोर्ट करने गया था और रिपोर्ट नहीं लिखने के कारण उसने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को आवेदन दिया था।

08— साक्षी रामचंद्र यादव अ.सा.03 के अनुसार दूसरे दिन दिनांक 23.01.2012 को पुलिस जांच करने गांव आई थी, तब आरोपी फरार हो गया था। तत्पश्चात उसने अपनी मोटर सायकिल को सुपुर्दनामा पर लिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना

आरोपी द्वारा मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण हुई है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

09- साक्षी रामचंद्र यादव अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी थी, घटना कैसे और किसकी गलती से हुई थी उसे नहीं मालूम। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी, जिसकी प्रति पुलिस चौकी में दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में शिकायत से संबंधित कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी तथा आरोपी ने उसकी सहमति से उसकी मोटर सायकिल को ले गया था।

10- साक्षी देवनु अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह मृत्तिका सुनीता यादव को जानता है। वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना करीब 5-6 साल पहले रात्रि की है। उसे सुबह पता चला था कि नोहर यादव की लड़की सुनिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी है। एक्सीडेंट दमोह रोड पर हुआ था, जहाँ पर सुनीता मरी पड़ी थी तथा मोटर सायकिल भी पड़ी थी। पुलिस ने प्र.पी-01 के पंचायतनामा(मृत्यु जांच के लिये आवेदन पत्र) तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सुनिता को शरीर में कहीं चोट थी उसे नहीं पता। उसके नाक तरफ से खून बह रहा था। उसे नहीं पता कि दुर्घटना के वक्त मोटर सायकिल कौन चला रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिया था। सुनिता की मृत्यु दुर्घटना में चोट लगने से हुई थी।

11- साक्षी देवनु अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि दुर्घटनास्थल पर मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.

08-एन.ए.-9679 पड़ी थी तथा पुलिस को यह भी बता दिया था कि दिनांक 22.01.12 को सुनिता और मुकेश कनियावाड़ा दोनों मोटर सायकिल से दमोह से बोरी रात में घर आ रहे थे, तब एक्सीडेंट हो गया था, आरोपी मुकेश ने गाड़ी को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था तथा वह आरोपी की गलती वाली बात अंदाज के आधार पर बता रहा है।

12- साक्षी जेटू अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह मृतिका सुनिता यादव को जानता है और आरोपी मुकेश को जानता है। सुनिता यादव की एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। घटना लगभग 5-6 साल पहले की है। दुर्घटनास्थल पर साजा झाड़ के पास मोटर सायकिल पड़ी थी एवं लाश पड़ी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी तथा पंचायतनामा प्रपी-01 में उसके अंगुठा निशानी लिये थे। लाश सुपुर्दगीनामा प्रपी-10 पर भी उसके अंगुठा निशानी लगवाया था तथा सुनिता यादव की लाश पी.एम. के पश्चात मृतिका के पिता नोहरसिंह को सौंपी गयी थी। उसे नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ।

13- साक्षी जेटू अ.सा.08 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय मोटर सायकिल का नंबर सी.जी.08-एन.ए.-9679 बताया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन में यह बताया था कि घटना की रात नोहर का भांजा मुकेश और सुनिता दमोह से घर आ रहे थे तो मुकेश ने मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक से एक्सीडेंट कर दिया था। वह यह नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे हुयी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दुर्घटना के संबंध में न्यायालय में सही कथन नहीं कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी थी और वह नहीं बता सकता कि घटना कैसे व किसकी गलती से हुई है।

14— साक्षी चुनेश अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने किसी वाहन का परीक्षण नहीं किया था और ना ही कोई रिपोर्ट तैयार की थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसने पुलिस थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 04/12 में जत्तशुदा सी.जी.08.एन.ए.9679 का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की थी, परन्तु वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिसवालों के कहने पर सादे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

15— साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.01.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक क्रमांक अखिलेख पांडे क्रमांक 845 द्वारा मृतिका कु० सुनीता को शव परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा दोपहर 3:00 बजे मृतक का शव परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने पाया था कि मृतक का शरीर चित्त अवस्था में था, आंख की पुतलियाँ फैली हुई थी, सिर बाईं तरफ झुका हुआ था, आंख बंद थी, मुख भी बंद था एवं शरीर में अकड़न मौजूद थी, बाहरी जननेन्द्रियाँ सामान्य थी तथा मुँह, नाक एवं कान से रक्तस्राव हो रहा था।

16— साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.04 के अनुसार बाह्य परीक्षण करने पर चोट क्रमांक-01 कंट्यूजन तीन इंच गुणा दो इंच सिर के मध्य टेम्पोरल बोन पर तथा स्कल बोन फ्रेक्चर दिखाई दे रहा था, जिसमें रक्तस्राव अत्यधिक मात्रा में हो रहा था तथा चोट क्रमांक-02 उक्त लगी हुई चोट पर ब्लड वेशल्स रेक्वर्ड, चोट क्रमांक-03 उक्त लगी हुई चोट इन्टरनल किनियल फोसा रेक्वर्ड था, जिसे देखने पर ग्रिवियस नेचर की चोट होना प्रतीत हो रही थी, चोट

क्रमांक-04 पोष्टेरियल किनियल फोसा रेक्वर्ड तथा चोट क्रमांक-05 उक्त लगी हुई चोट से ब्लड वेशल्स रेक्वर्ड था, जिसके कारण हार्ड एण्ड ब्लंट चोट दिखाई देना पाया था।

17- साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.04 के अनुसार मृतिका का आंतरिक परीक्षण करने पर खोपड़ी, कपाल कशेरुका, सिल्लो, मस्तिष्क मेरुरज्जू, पर्दा, पसली, फुफ्फुस, कंठनली, श्वास नली, दाहिना एवं बाया फेफड़ा, पेरियोन, हृदय वाहिका, पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुँह तथा ग्रासनली सभी पेल थे, पेट एवं उसके भीतर की वस्तुएँ खाद्य पदार्थ मौजूद था, छोटी आंत एवं उसके भीतर की वस्तुएँ फिकल मटेरियल, बड़ी आंत एवं उसके भीतर की वस्तुएँ लिक्विड मटेरियल मौजूद था, यकृत, प्लीहा, गुर्दा पेल थे, मूत्राशय खाली था एवं बाहरी जननेन्द्रियाँ सामान्य होना पाया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु सिनकापीशॉक एवं सिर पर लगी हुई गंभीर चोट तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने से हेड इंजुरी के कारण मृत्यु होना प्रतीत होती है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18- साक्षी राजेश सनोडिया अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह वर्ष 2012 में थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रधान आरक्षक लखन भिमटे द्वारा लेखबद्ध की गयी तथा संपूर्ण विवेचना सहायक उपनिरीक्षक सुरेश विजयवार द्वारा की गई है, जिनके हस्ताक्षर से उसके साथ कार्य करने से वह परिचित है। प्रकरण में दिनांक 23.01.12 को फरियादी नोहरसिंह द्वारा सालेटेकरी चौकी उपस्थित होकर सुनीता की मृत्यु की सूचना देने पर मार्ग कायमी तथा शून्य पर अपराध कायमी की गयी थी, जो प्रपी-05 एवं 06 है, जिनके ए से ए भाग पर सहायक उप निरीक्षक सुरेश विजयवार के हस्ताक्षर हैं।

19- साक्षी राजेश सनोडिया अ.सा.06 के अनुसार अपराध कायमी उपरांत असल कायमी हेतु आरक्षक अखिलेश पाण्डेय के माध्यम से फरियाद

थाना बिरसा प्रेषित की गई थी, जिस पर प्रधान आरक्षक लखन भिमटे द्वारा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-07 लेखबद्ध की गई, जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक लखन भिमटे के हस्ताक्षर हैं। मर्ग कायमी पश्चात दिनांक 23.01.12 को सहायक उप निरीक्षक विजयवार द्वारा सुनीता यादव पिता नोहर का शव पंचनामा प्रपी-02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा कार्यवाही कर शव को शव परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल हेतु प्रेषित किये गये थे।

20— साक्षी राजेश सनोडिया अ.सा.06 के अनुसार उक्त दिनांक को ही सहायक उप निरीक्षक सुरेश विजयवार द्वारा घटनास्थल ग्राम बोरी जाकर नोहरसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी-08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर श्री विजयवार के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को श्री विजयवार द्वारा घटनास्थल से एक क्षतिग्रस्त स्प्लेण्डर प्रो मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08एन.ए.9679 गवाह हंसाराम तथा देवलूराम के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर सहायक उपनिरीक्षक विजयवार के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही श्री विजयवार द्वारा गवाह नोहरसिंह, अग्निबाई तथा दिनांक 18.02.12 को रामचंद एवं दिनांक 09.03.12 को तिजूलाल और दिनांक 06.03.12 को सुंतीबाई, हंसाराम, देवलू, जेदू, हिरमोतिनबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल का परीक्षण परीक्षणकर्ता चुनेश से कराया गया था।

21— साक्षी राजेश सनोडिया अ.सा.06 के अनुसार प्रकरण के आरोपी मुकेश का पता ना चलने पर फरारी पंचनामा सहायक उपनिरीक्षक श्री विजयवार द्वारा दिनांक 29.02.12, 31.03.12, 10.04.12, 19.05.12, 31.06.12, 17.07.12, 01.08.12 तथा 28.08.12 को तैयार किया गया था। तत्पश्चात आरोपी का कोई पता नहीं चलने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-299 के अंतर्गत सहायक

उपनिरीक्षक श्री विजयवार द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

22- साक्षी राजेश सनोडिया अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रकरण की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं की गयी है, वह केवल हस्ताक्षर से परिचित होने के कारण कार्यवाहियों के संबंध में बता रहा है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-06 झूठी लेखबद्ध की गयी थी, मौका-नक्शा प्रपी-08 की कार्यवाही झूठी की गयी थी, उक्त कार्यवाही थाने में की गयी थी, साक्षीगण के बयान उनके कथन अपने मन से लेखबद्ध किया था, प्रपी-09 की कार्यवाही झूठी की गयी थी, प्रपी-04 मेकेनिकल वाहन परीक्षण झूठा तैयार कराया गया था, पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना झूठी की गयी थी।

23- उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुर्घटना में सुनीता यादव की मृत्यु हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती।

24- “परिस्थितियों स्वयं प्रमाण है” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतिका सुनीता यादव की मृत्यु कारित की गई है। मात्र पुलिस विवेचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना

कारित की गई हो, इस संबंध में न्याय दृष्टांत-Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.L.J 583(Ori) अवलोकनीय है। अतः अभियुक्त मुकेश को भा0द0सं0 की धारा-279, 304ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

25- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

26- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटर सायकिल स्पलेंडर प्रो क्रमांक सी.जी.08एन.ए.9679 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

27- आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 23.02.2015 से दिनांक 27.02.2015 तक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)